

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

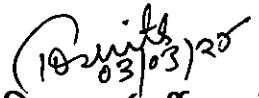
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ८१५ / 2025 दिनांक ०३ .03.2025

श्री शैलेश जड़िया (RJ0489), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) को दिनांक 27.01.2025 से 29.01.2025 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.01.2025 से 26.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जड़िया की अनुपस्थिति में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

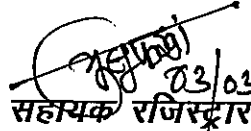

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/41/2005/181\

दिनांक ०३ .03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 1648 दिनांक 31.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेश जड़िया (RJ0489), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
5. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।


सहायक रजिस्ट्रार